

बिहार सरकार

श्रम संसाधन विभाग

बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति

आदेश

बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011 के अंतर्गत जिला पदाधिकारी, अररिया के पत्रांक(कॉलम 4 में वर्णित) से दुर्घटना में मृत 03 श्रमिक के आश्रित को ₹ 100000/- (एक लाख रूपए) प्रति कामगार की दर से ₹ 300000/- (तीन लाख रूपए) एवं 07 श्रमिकों के स्वाभाविक मृत्यु के उपरांत आश्रितों को ₹ 30000/- (तीस हजार रूपए) प्रति कामगार की दर से ₹ 210000/- (दो लाख दस हजार रूपए) अर्थात् कुल राशि ₹ 510000/- (पाँच लाख दस हजार रूपए) मात्र भुगतान हेतु अनुदान की स्वीकृतोपरांत राशि विमुक्ति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के आलोक में मृतक/दावेदार कामगारों के आश्रितों को स्वीकृत राशि की विमुक्ति का आदेश दिया जाता है। मृतक/दावेदार कामगारों/शिल्पकारों का नाम, उनके आश्रितों का नाम एवं पता तथा बैंक लेखा संख्या निम्नांकित है:-

क्र. सं.	मृतक एवं पिता/पति का नाम	आश्रित का नाम( संबंध )	जिलाधिकारी/श्रम अधीक्षक का पत्रांक/दिनांक	पता	आश्रित का बैंक खाता संख्या	बैंक एवं शाखा का नाम, आई.एफ.एस. सी	स्वीकृत अनुदान की राशि	मृत्यु/नि.शक्तता का व्यौरा, कार्य की प्रकृति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	स्व० सुरेन्द्र मंडल, श्री महेश लाल मंडल, पि० जाति	श्रीमती सुलेखा देवी(पत्नी)	323/31.08.18	ग्रा०-आजमनगर, पं०-कुसियारगांव, पो०-रामपुर कोदरकटटी, था०+प्र०+जि०-अररिया	584810110003660	BOI, ARARIA, BKID0005848	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, भवन निर्माण मजदूर एवं अन्य कार्य
2	स्व० एनूल, मो० कलीम, सामान्य	श्रीमती सुबदी(पत्नी)	तदैव	ग्रा०-बड़ा कामत चिस्तीपुर हड़ियावाड़ा, पो०+था०+प्र०+जि०-अररिया	30428100004423	BOB, HARIA, ARARIA, BARBOARARIA	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, भवन निर्माण व्यवसाय में कामगार मजदूर
3	स्व० मो० अतीक, मो० सबुल, सामान्य	श्रीमती अनबुलिया (पत्नी)	तदैव	ग्रा०-खरैया बस्ती घाट टोला, पं०-बसंतपुर वार्ड नं० 03, पो०-रामपुर मोहनपुर, था०+प्र०+जि०-अररिया	34408127831	SBI, KALI MANDIR CHOWK ARARIA, SBIN0000009	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, खेतिहर मजदूर में कार्य
4	स्व० महेन्द्र मंडल, श्री फोचाई मंडल, पि० जाति	श्रीमती पूनम देवी(पत्नी)	तदैव	ग्रा०+पं०+पो०-रामपुर मोहनपुर, था०+प्र०+जि०-अररिया	584810410000355	BOI, ARARIA, BKID0005848	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, भवन निर्माण मजदूर
5	स्व० बुधन ऋषिदेव, श्री रामानंद ऋषिदेव, अनु० जाति	श्रीमती गीता देवी(पत्नी)	तदैव	ग्रा०-बाड़ीटोला रामपुर, पं०-भोड़हा, पो०-मेरीगंज, था०-रानीगंज, अररिया	19500100010426	BOB, RAMPUR ARARIA, BARBORAMM AR	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, कृषि श्रमिक
6	स्व० महेन्द्र मरिक्, श्री राम विलास मरिक्, अनु० जाति	श्रीमती ममता देवी(पत्नी)	तदैव	ग्रा०-काली मेला रोड फॉरबिसगंज वार्ड नं० 07, पो०+था०+प्र०-फॉरबिसगंज, अररिया	33990100002019	INDIAN OVERSEAS BANK, FORBESGANJ, IOBA0003399	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, दैनिक मजदूर सफाई कर्मी
7	स्व० पवनी देवी, अनु० जाति	श्री दशानन ऋषिदेव (पति)	तदैव	ग्रा०+पो०-कुसियारगांव, पो०-रामपुर कोदरकटटी, था०+प्र०+जि०-अररिया	1007801030063822	UTTAR BIHAR GRAMIN BANK, KUSIARGAON, CBIN0R10001	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, भवन निर्माण मजदूर एवं अन्य कार्य
8	स्व० प्रीतम कुमार साह उर्फ गुड्डु, पि० जाति	श्री रामभजन साह(पिता)	तदैव	ग्रा०+पं०+पो०-बाग नगर, था०-महलगाँव, प्र०-जोकीहाट, अररिया	10502937108	SBI, KASBA, PURNEA, SBIN0002960	₹ 100000/- (एक लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु, पेंटर एवं भवन निर्माण श्रमिक
9	स्व० गंगानन्द बहरदार सिंह, स्व युदु सिंह, अ० पि० जाति	श्रीमती यशोदा देवी(पत्नी)	तदैव	ग्रा०+पो०-तीरा खारदह, पं०-ठेंगापुर, था०+प्र०-सिकटी, अररिया	35181138589	SBI, BHIRBHENI, SBIN0008563	₹ 100000/- (एक लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु, मछली मारना एवं बेचने का कार्य

2

10	स्व० मो० ख्यायन, मो० वाहिद, सामान्य	श्रीमती शबाना प्रवीण(पत्नी)	तदेव	ग्राम-+...-बोधी, था०+प्र०+जि०-अररिया	20380061 265	SBI, ARARIA, SBIN0000009	₹ 100000/- (एक लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु, विजली मिस्त्री
----	---	-----------------------------------	------	---	-----------------	-----------------------------	-----------------------------	------------------------------------

कुल :-₹ 510000/-

(पाँच लाख दस हजार रूपए)

2. उक्त राशि भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना में पोषित बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति के बचत खाता संख्या 37062727316 से "बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011" के सहायक अनुदान इकाई से विकलनीय होगी।

3. उपरोक्त स्वीकृत राशि (कॉलम नं० 8)का भुगतान RTGS के माध्यम से कॉलम नं० 3 में अंकित आश्रित के बैंक खाते कॉलम 6 में किया जाएगा।

4. प्रस्ताव पर सभापति, कार्यकारिणी समिति, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति-सह-प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना का संचिका सं० श्रम क० सं०-25/2018 के पृष्ठ-13/टि० पर अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(कृष्ण मुरारी प्रसाद)

श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी

ह०/-

(डा० गणेश कुमार झा)

मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-

(गोपाल मीणा)

कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :- श्रम क० सं०-25/2018

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना, उपरोक्त आदेश के कॉलम 3 में अंकित आश्रित को उनके नाम के सामने अंकित खाता संख्या में कॉलम नं० 8 में स्वीकृत राशि RTGS के माध्यम से अन्तरित करना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी कारण राशि का अंतरण नहीं हो पाता है तो इसकी सूचना अविलंब मुख्य वित्त पदाधिकारी, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, नियोजन भवन को देंगे।

ह०/-

(कृष्ण मुरारी प्रसाद)

श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी

ह०/-

(डा० गणेश कुमार झा)

मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-

(गोपाल मीणा)

कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :- श्रम क० सं०-25/2018-५४

पटना, दिनांक :- ०९-१०-१८

प्रतिलिपि :- सचिव, बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

उक्त लाभुकों को बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत संचालित योजनाओं का लाभ नहीं दिया जाए/ लेखा शाखा, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, बिहार, पटना, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशित है कि उक्त कुल स्वीकृत राशि ₹ 510000/- (पाँच लाख दस हजार रूपए)का बैंक से अंतरण के पश्चात लेखा संधारण करना सुनिश्चित करेंगे/ श्रम अधीक्षक, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/जिला पदाधिकारी, अररिया को उनके पत्रांक 323 दिनांक 31.08.18 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित/आई०टी० मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग(विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु)को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित/माननीय मंत्री आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

(कृष्ण मुरारी प्रसाद)

श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी

(डा० गणेश कुमार झा)

मुख्य वित्त पदाधिकारी

(गोपाल मीणा)

कार्यकारी निदेशक।